

20.6.2025

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील सायलान का कथन है कि गैरसायलान सायलान को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक गैरसायलान को पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

वकील सायल की बहस का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, सायल द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि गैरसायल विवादित आराजी से सायलान को बेदखल करना चाहते हैं, पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि गैरसायलान द्वारा विवादित आराजी के किसी विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा या सायलान को बेदखल करने का प्रयास किया हो।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया सायलान को कोई भी क्षति सम्भावित नहीं है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायल खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्डाधिकारी पत्र
सहायक क्लर्क मुख्यालय
धीलपुर (राजग)